INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 11 | DECEMBER - 2021

''प्राचीन भारतीय शिल्पी संगठन एवं न्यायिक कार्यों के समीक्षात्मक अध्ययन''

डॉ. श्रीकृष्ण सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास, पी.के.के. राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद, शाहजहाँपुर

प्राचीन वैदिक कालीन साहित्य साक्ष्यों में शिल्पी संगठन के संबंध में उल्लेख अवश्य मिलते हैं, लेकिन शिल्पी द्वारा प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य करने का कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस समय शिल्पी एक समान्य नागरिक के भांति कार्य करते थे।

शिल्पी संगठन अपनी कार्य शैली से राज्य एवं समाज के बीच विविध प्रशासनिक नियम–कानून के द्वारा समय–समय पर अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। शिल्पी प्रशासनिक व्यवस्था लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारम्भ हुई। इस काल में शिल्पी संगठन का उल्लेख विभिन्न बौद्ध साहित्यों में मिलता है। राज्य के द्वारा इसी काल में शिल्पियों को संरक्षण देना प्रारंम्भ किया एवं शिल्पी संगठन राज्य से संरक्षण प्राप्त करके अपनी आर्थिक उन्नति का उचित प्रबंध किया। गौतम धर्म मूत्र[1] में उल्लेख है कि कृषकों, व्यापारियों, चरवाहों सूद पर उधार देने वालों और कारीगरों को अपने–अपने वर्ण के लिए नियम बनाने का अधिकार है, इन संगठनों के नियमों की वैद्यानिकता प्राप्त थी। संगठनों के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त था कि राजा उनके संगठन के विषय में उनसे परामर्श करें।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र[2] से ज्ञात होता है कि लेखाध्यक्षों को नियमित रूप से निर्धारित रजिस्टर में नियमों की प्रथाओं का उल्लेख करना पड़ता था। शिल्पी संगठन शुल्क एकत्रित करने के लिए विश्वास पात्र तीन आयुक्त को नियुक्त किए जाने का उल्लेख है।[3] कौटिल्य ने शिल्पी संगठन के श्रमिकों के लिए विशेष नियम का उल्लेख किया है। गोवर्द्धन (नासिक) में एक ही व्यवसाय के दो शिल्पी संगठनों के होने का उल्लेख मिलता है, यह अभिलेख नाहपान क्षत्रय (125 सदी ई0 सन्) से संबंधित है।[4]

इन दो शिल्पी संगठनों के संदर्भ में यह जानकारी मिलती है कि नासिक के बुनकरों के दो शिल्पी संगठनों में आपसी प्रतिद्वन्दिता थी जिसके फलस्वरूप एक श्रेणी आपसी विवाद से बचने के लिए कहीं अन्यत्र चली गयी।[5]

शिल्पी संगठन के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य आदि के संबंध में स्मृति साहित्यों में भी वर्णन मिलता है। संगठन में प्रवेश के पश्चात सदस्य अन्य सदस्यों के साथ सम्पति एवं दायित्वों के लिए बराबर का भागीदार हो जाता था। शिल्पी संगठन के द्वारा धार्मिक कोष स्थापित करने का प्रमाण मिलता है। धार्मिक दाय की धनराशि को किसी सदस्य द्वारा हानि पहुँचाने अथवा ध्यान से कार्य न करने पर उसे संगठन से निष्कासित कर दिया जाता था।[6]

संगठन के सम्पति में बराबर हिस्सेदारी के लिए आपस में विवाद होने का उल्लेख मिलता है, जिसे सभा के सदस्यों द्वारा आपसी बहस से निपटाने का उल्लेख है। किसी सदस्य का अनुबंध संगठन की तरफ से किया जाता तथा संगठन के सदस्यों को बहुमत से उसे मान्य किया जाता, उसके पश्चात अनुबंध पत्र मान्य होता।[7]

शिल्पी संगठन प्रमुख आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होता था। सामाजिक एवं धार्मिक कल्याण के कार्य सम्पन्न करने के कारण उसे प्रसिद्धि प्राप्त थी। 'महावस्तु' में उल्लेख मिलता है कि शिल्पी श्रेणी संगठन 'प्रमुख' के पास अत्यधिक धन सम्पदा होती थी, उसके पास विशाल कोष एवं अन्न भण्डार होता था। साथ ही साथ अत्यधिक संख्या में हाथी–घोड़े, सोने, चाँदी, दासों, नौकरों की बहुलता होती थी।[8]

इस संबंध में अन्यत्र भी वर्णन मिलता है कि वह विशाल भू संपदा का मालिक होता था, उसका संबंध सुविख्यात परिवार से होता था, वह विविध कार्यों में निपुण होता उसके धर्मार्थ कार्यों के कारण राजा एवं सामान्य जनों द्वारा उसे सम्मानित किया जाता था।[9] राज्य के आवश्यक कार्यों के लिए राजा परिषद की बैठक बुलाता उसमें 'शिल्पी प्रमुख' की उपस्थिति अनिवार्य होती थी।[10]

शिल्पी 'प्रमुख' राजकीय न्यायालय में संगठन के हित को ध्यान रखता था, कारण कि शिल्पी संगठन से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिसके कारण राजा शिल्पी संगठनों के प्रति हमेशा तत्पर रहता 'प्रमुख' भी संगठन की समस्याओं से राजा को हमेशा अवगत कराता रहता था।[11] राजा द्वारा हमेशा सूचित किया जाता था कि 'प्रमुख' के विरूद्ध कोई कार्य न करें और न आपस में एक दूसरे के विरूद्ध लड़ें।[12]

जातक कथाओं में शिल्पी संगठन के सदस्यों को आपस में झगड़ने का उल्लेख मिलता है, जिसे महात्माबुद्ध के कहने पर उनके बीच आपस में समझौता हुआ।[13]

शिल्पी प्रमुख द्वारा संगठन के दोषी सदस्यों को न्यायिक कार्य के समय डाँट–फटकार कर घुड़की निन्दा कर अथवा उन्हें संगठन से वहिष्कृत कर दिया जाता था।[14]

दोष के संबंध में राजा को अवगत कराया जाता, दोष प्रमाणित होने पर दोषी सदस्य को संगठन से बाहर निकाल दिया जाता था।[15]

शिल्पी श्रेणी 'प्रमुख' के पास यह अधिकार था कि वह विवाद से सम्बन्धित वाद परिवार व लोगों के बीच अथवा संगठन के बीच के विभिन्न विवादों का निपटारा कर सके।[16]

वृहस्पति के अनुसार शिल्पी श्रेणी सभा एवं उसके 'प्रमुख' कार्यकारी अधिकारियों के बीच विवादों का निपटारा राजा के द्वारा किया जाता था। शिल्पी संगठन का सदस्य भी कार्यकारी अधिकारी अथवा 'प्रमुख' के द्वारा दण्डित किया जा सकता था। वह दण्ड के विरूद्ध राजा के पास अपील कर सकता था, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात राजा शिल्प संगठन के नियमों पर विचार करता था और कानूनी कार्यवाही में उचित निर्णय होने पर वह उसे यथावत रखता था। नियम विरूद्ध कार्य करने, नियम का अतिक्रमण करने अथवा अपराध करने पर शिल्पी संगठन एक स्वायत्त संस्था होने के वावजूद भी शिल्पी 'प्रमुख' को राजा के प्रति जबावदेही होना पड़ता था।[17] मनु स्मति में भी उल्लेख मिलता है कि समझौता को भंग करने पर दोषी शिल्पी संगठन अथवा सम्बंधित संस्था को राजा दण्डित करने का आदेश देता था।[18] वृहस्पति ने उल्लेख किया है कि विद्वेषपूर्ण कार्य करने वाले को शिल्पी संगठन अथवा राजा द्वारा राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था।[19] अर्थात शिल्पी संगठन से संबंधित 'सभा' के सदस्य अथवा अधिकारियों को किसी भी नियम के विरूद्ध कार्य करने पर सभा से अथवा उनके पद से निष्कासित किया जा सकता था, इसके अनेकों दृष्टोतों का उल्लेख है।

शिल्पी संगठन का त्रि–स्तरीय न्यायिक कार्य प्रणाली का उल्लेख मिलता है। प्रथम न्यायिक कार्य से संबंधित सदस्य, द्वितीय, कार्यकारी अधिकारी, एवं तृतीय शिल्पी संगठन के 'प्रमुख' का स्थान होता था। शिल्पी संगठन के प्रतिनिधि राजकीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, शिल्पी संगठन के सदस्यों द्वारा विवाद के संबंध में जाँच पड़ताल किया जाता उसके पश्चात नियमानुसार निर्णय किया जाता था। दण्ड प्रक्रिया में सदस्य से भूल हो जाती अथवा विद्वेष के कारण कार्य करता या संगठन में मतभेद पैदा कराने का प्रयास करता अथवा विश्वासघात इत्यादि दोषजन्य कार्य के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा विधिवत जाँच–पड़ताल करने का उल्लेख मिलता है। मज्झिम निकाय[20] में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति के झूठ बोलने के कारण उसे शिल्पी संगठन के समकक्ष साक्ष्य के लिए बुलाया गया, शिल्पी संगठन के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में सत्य जानने का प्रयास किया गया। रीज डेविड के अनुसार[21] शिल्पी श्रेणी के सदस्य न केवल संगठन से

संबंधित विवादों का निपटारा करते, बल्कि उनके द्वारा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विवादों का भी निपटारा किया जाता इस संबंध में 'विनट पिटक' का भी उल्लेख मिलता है।

डॉ0 मोतीचन्द्र[22] ने मुद्राराक्षस के आधार पर अपना विचार व्यक्त किया है कि 'शिल्पी प्रमुख' विधि सलाहकार का कार्य करता था। कृत्यायन के अनुसार न्यायिक कार्य करने वाले शिल्पी ब्राह्मण के समकक्ष विद्वान होते थे। शिल्पी संगठन का प्रतिनिधि वही होता था जो आदर्श परिवार से संबंधित होने के साथ–साथ ईमानदार भी हो।

सदस्य के लिए धनवान होना भी एक महत्वपूर्ण योग्यता थी जिसके आधार पर वह राजकीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, परन्तु उसके पास अन्य योग्यताएं होना भी आवश्यक था।[23] याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा प्रशासकीय एवं न्यायिक कार्य के लिए विद्वान ब्राह्मण से सहायता प्राप्त करता, कात्यायन के अनुसार ब्राह्मण के उपलब्ध न होने पर 'क्षत्रिय' अथवा 'वैश्य' को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन शूद्र को नियुक्त नहीं किया जाता[24] याज्ञवल्क्य चार प्रकार के न्यायालय के उल्लेख करते हैं, सभापतित्व का न्यायालय जिसके अधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती 'पूग', 'श्रेणी', 'कुलज'

इसी प्रकार अन्यत्र नारद स्मृति[25], वृहस्पति स्मृति[26] एवं काव्यायन स्मृति[27] में न्यायालय का वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य के 'पूग' के स्थान पर इन स्मृतियों में गण का उल्लेख मिलता है, राजा न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मनुस्मृति में उठारह प्रकार के विवाद का वर्णन मिलता है,[28] जिसमें एक आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। कुल न्यायालय परिवारिक विवाद का न्यायालय होता था, जिसमें परिवार के वयोवृद्ध होते थे, एवं गाँव के कुछ निष्पक्ष सदस्य भी होते थे। जे0 डब्लू स्पेलमैन का विचार है कि शिल्पी न्यायिक सदस्य कानूनी न्यायालय की तरह कार्य करते थे, विशेषतः वे अपने संगठन से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे।[29] पूग एक वृहद आर्थिक संगठन था, जिसमें विविध जाति के लोग एवं व्यवसाय के लोग एक साथ रहते थे।[30] न्यायालय का अभिप्राय ग्रामीण न्यायालय, जातीय न्यायालय इत्यादि से है। न्यायालय जिस विषय वस्तु पर अपना निर्णय देते थे वह विषय उसके न्यायाधिकार में होता था।

शिल्पी न्यायालय द्वारा उन सभी नियमों का पालन किया जाता जो राज्य न्यायालय द्वारा निर्धारित थे। न्यायालय में समूह के सदस्यों अथवा पड़ोसी सदस्य को गवाह के रूप साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया जाता था।[31] कौटिल्य के अर्थशास्त्र मनुस्मृति एवं वृहस्पति स्मृति में उल्लेख मिलता है कि किसी भी वाद का निर्णीत करने से पूर्व स्थानीय शिल्पी संगठन के नियमों को ध्यान में रखकर ही निर्णय किया जाता था।[32] छल–कपट से संबंधित विवाद को निर्णीत करने में कठिनाई होती थी। बाद में अपील करने का प्राविधान था, अपील निम्न न्यायालय से राज्य न्यायालय में किया जाता था, जहाँ शिल्पी श्रेणी प्रतिनिधि के सुझाव से न्याय किया जाता था, राजकीय न्यायालय निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए स्वेच्छाचारी निर्णयों की जाँच की जाती थी एवं उच्च न्यायालय में अपील कर उन अधिकारियों को दण्डित किया जाता था, जो निर्णय में पक्षताप करते थे।[33]

शिल्पी संगठन द्वारा केवल दीवानी विवादों का निस्तारण किया जाता था क्योंकि जघन्य अपराध शिल्पी संगठन के न्यायिक[34] क्षेत्र से बाहर था। उसे केवल राजकीय न्यायालय में ही निर्णीत किया जाता था।[35] इस प्रकार विभिन्न साहित्यिक स्त्रोतों के आधार पर स्पष्ट होता है कि शिल्पी संगठन न्यायालय न्यायाधिकरण का कार्य करती थी। शिल्पी संगठन के न्यायिक व्यवस्था उच्चकोटि की थी, क्योंकि समयाभाव, तीव्रगामी संसाधनों का अभाव जिससे सामान्य जनता राजकीय न्यायालयों में पहुँचने में अक्षम होती थी, इस प्रकार दूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को शिल्पी न्यायालय के माध्यम से न्याय प्राप्त होते थे। इस प्रकार अधिकांश विवादों का निपटारा प्रथम दृष्टतया स्थिति को समझकर निर्णीत कर दिया जाता था। शिल्पी न्यायालय एक गैर राजकीय न्यायालय था, जिसे राजकीय नयायाधिकरण द्वारा परोक्ष रूप में न्यायिक कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान थी। इस प्रकार यह भी विचारणीय बिंदु है कि यह न्याय व्यवस्था में स्थानीय उप अथवा प्रवर न्यायालय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास रहा होगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधा प्राप्त हो सके। इस प्रकार शिल्पी संगठन न्यायालय समाज के विविध रीति–रिवाजों को ध्यान में रखकर कार्य करता, साथ–ही–साथ यह भी ध्यान देने का प्रयास करता की समाज में अराजकता की स्थिति पैदा न हो सके।

संदर्भ और टिप्पणी :

1. गौतम धर्म सूत्र, 11, 21
2. कौटिल्य अर्थशास्त्र (शामशास्त्री अनु. पृ. 69)
3. वही पृष्ठ सं. 253
4. ई. एल., VIII, पृ. डी.सी. सरकार सेलेक्ट इंन्सि. 1, पृ.164
5. ए कन्साइज हिस्ट्री आफ एंशिएन्ट इंडिया, II, पृ. 354
6. कात्यायन, vv. 675–76 (जी. एन. झा, हिन्दू लॉ इन इट्स सोर्सेज), पृ.531
7. वृहस्पति, xiv.5
8. महावस्तु 111 पृ. 402 (अनुवाद)
9. जातक नं0 iv, पृ. 25
10. महावस्तु पृ. 406
11. डी. एन. झा द रेवेन्यू सिस्टम इन पोस्ट मौर्यन एण्ड गुप्ता टाइम्स, पृ. 110
12. महाभारत XII, 138, 63
13. उरग जातक नं. 154
14. वृहस्पत्ति, XVII, 17
15. वही, XVII, 18
16. इकोनॉमिक जनरल, 1901 पृ. 313
17. बेनी प्रसाद TGAI p. 318
18. मनु VIII, 219
19. वृहस्पति XVII, 16
20. मझिम, 1, 286, देखिए ए0 एन0 बोस, एस. आर. ई. एन. आई; पृ. 291
21. सी. एफ. रीड डेविस, जे. आर. ए. एस. 1901 पृ. 291
22. मोतीचंद्र सार्थग्राह पृ. 177
23. कात्यायन V.V. 57–59
24. नारद परिचय 1.7
25. वृहस्पति 1.29 GOS 1.75
26. कात्यायन V.82
27. मनु VIII, 4–7
28. जे. डब्लू. स्पेलमैन पालिटिकल थ्योरी आफ एंशिएंट इंडिया, पृ. 123 पी.वी. काणे (एच.डी.एस 11, पृ. 280)
29. ए.एस. अल्टेकर, एस.जी.ए.एल, पृ. 252
30. अर्थशास्त्र, III, 9, मनु VIII, 62, 258–60, 262
31. वृहस्पति (GOS, I, 73–74)
32. याज्ञवल्क्य 11.30
33. वृहस्पति XVII.17
34. वही 1.28